प्रेस विज्ञप्ति

24.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू के समक्ष अरशद अहमद अली निवासी शोपियां, फैयाज अहमद डार निवासी अनंतनाग, फैयाज अहमद डिगू निवासी पुलवामा, अब्दुल हामिद अली निवासी शोपियां, लाडी राम निवासी कठुआ और अन्य के खिलाफ उनके द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने हिजबुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अरशद अहमद अली, फैयाज अहमद डार, लाडी राम और अन्य संबंधित आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की।

ईडी की जांच में ड्रग तस्करी और आतंकवाद की मिलीभगत के एक नेटवर्क का पता चला। आरोपी व्यक्तियों, अर्थात मोहम्मद अल्ताफ उर्फ हाफिज निवासी पुंछ ने पाकिस्तान के सभी निवासियों मोहम्मद रजाक उर्फ बिल्ला, नासिर अहमद, एजाज अहमद पंडित उर्फ रंगा और शन्नी नामक आतंकवादियों/संचालकों के निर्देश पर सीमा पार से तस्करी की गई ड्रग्स प्राप्त की। आरोपी व्यक्तियों, अर्थात अरशद अहमद अली, फैयाज अहमद डार, फैयाज अहमद डिगू और अब्दुल हामिद अली ने आगे प्रक्रिया की, वितरित किया और आरोपी लाडी राम को उक्त ड्रग्स प्रदान की, जिसने इसे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बेचा और अपराध की आय (पीओसी), जो कि नकदी के रूप में और बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से करोड़ों रुपये में है, अरशद अहमद अली को भेजी। इस तरह की पीओसी प्राप्त करने के बाद, अरशद अहमद अली ने कारों की सेकेंड हैंड बिक्री खरीद के व्यवसाय का मुखौटा लगाकर, पीओसी को छिपाकर, उसे आतंकवाद की विध्वंसक गतिविधियों के एकमात्र उद्देश्य से आरोपी व्यक्तियों, मोहम्मद लतीफ डार निवासी कुलगाम और मोहम्मद शफी भट निवासी अनंतनाग के माध्यम से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के हाथों में पहुंचा दिया। मामले में बैंक खातों की लेन-देन प्रोफाइलिंग से पता चला कि ड्रग्स की बिक्री के जरिए प्राप्त भारी नकदी जमा की गई थी, जो कई संदिग्ध परस्पर जुड़े लेनदेन के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को छुपाया गया था।

इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने आपराधिक मास्टरमाइंड आरोपी अरशद अहमद अली, फैयाज अहमद डार और लाडी राम को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में सभी न्यायिक हिरासत में हैं।